प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण।
4. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा।
5. अपर निदेशक, मा0/प्रा0 गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड। (द्वारा मु0शि0अ0)

पत्रांक–म.नि./ 7247 /(विविध)/2022–23 दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषय– गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड का संदेश प्रेषण सम्बन्धी।

महोदय,

गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा के संदेश, इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन संदेशों को अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों में गणतन्त्र दिवस से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे गणतन्त्र दिवस (दिनांक 26 जनवरी) के शुभ अवसर पर कार्यालयों/विद्यालयों में इनका वाचन कराया जा सके।

भवदीय,

23/1/23

(डॉ0 एस0बी0 जोशी)
संयुक्त निदेशक,
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड।

रविनाथ रमन, आई.ए.एस.
सचिव, विद्यालयी शिक्षा

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग,देहरादून
दूरभाष नम्बरः 0135–2780483
फैक्स– 2780140
E-Mail: dgeduuk@gmail.com

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर शुभ कामना संदेश।

प्रदेश के समस्त छात्र/छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों/शिक्षा अधिकारियों एवं समस्त अभिभावकों को गणतन्त्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भली भांति अवगत हैं कि कई वर्षों की परतंत्रता के उपरांत हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। देश में सशक्त लोकतंत्र की स्थापना की व्यवस्था के लिए संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को संविधान का वर्तमान स्वरूप अंगीकृत किया गया तथा आज ही के दिन 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। यद्यपि हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हो गया था तथापि वास्तविक संवैधानिक व्यवस्था का मार्ग 26 जनवरी, 1950 को प्रशस्त हुआ।

प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह जागृत हेा उठता है। यह आयोजन हमें देश के उन सभी ज्ञात–अज्ञात शहीदों के निःस्वार्थ बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यह दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समरसता एवं भाइचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर है।

हमारा संविधान एक मजबूत एवं सशक्त गणराज्य की आधारशिला होने के साथ ही एक दूरदर्शी एवं जीवंत दस्तावेज है। इस अवसर पर मेरा समस्त संस्थाध्यक्षों एवं अध्यापकों से अनुरोध है कि छात्रों को भारतीय संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना, विशेषताओं एवं महत्वपूर्ण प्राविधानों के सम्बन्ध में समुचित एवं यथेष्ट जानकारी दी जाय। अनेक महत्वपूर्ण स्मृतियां है, जो इस दिन के साथ जुड़ी हैं, उन सभी स्मृतियों को इस पावन पर्व पर छात्रों के साथ साझा अवश्य किया जाय।

आप सभी को विदित है कि वैश्विक महामारी कोविड–19 की अवधि में शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक गतिविधियां बाधित होने के कारण Learning loss (अधिगम ह्रास) हुआ है। इसलिए समस्त अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों तथा विशेष रूप से विषयाध्यापकों के द्वारा (अधिगम ह्रास) का समुचित विश्लेषण करना तथा अधिगम अन्तर को समाप्त करना आवश्यक है। विषय तथा निर्धारित पाठयक्रम को यथासमय पूर्ण करने लिए हम सभी का यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए। शिक्षण

दिवसों तथा शिक्षण अवधि का अवश्य ध्यान रखा जाय तथा छात्रों को अधिकाधिक शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाय।

विगत राष्ट्रीय सम्प्राप्ति सर्वेक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर बढ़ाये जाने हेतु अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। विगत वर्षों से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020" के अनुरूप Learning outcomes (सीखने के प्रतिफलों) के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी है, इसलिये अध्यापन प्रक्रिया से जुड़े सभी अभिकर्मियों को 'सीखने के प्रतिफलों' की अवधारणा एवं स्पष्ट जानकारी होनी अत्यावश्यक है। शैक्षिक संस्थानों द्वारा 'सीखने के प्रतिफलों' पर आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया पर अवश्य चर्चा कर ली जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 शिक्षा में गुणात्मक सुधार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस नीति की परिकल्पना है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षणविधि के द्वारा छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित जागरूकता उत्पन्न हो सके। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतान्त्रिक समाज का आधार है। आज का बच्चा देश का भावी नागरिक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समस्त छात्र–छात्राओं को संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों, सर्वधर्म समभाव एवं निरंतर बदलते वैश्विक परिदृश्य में छात्र–छात्राओं को दायित्वबोध के प्रति जागरूक करना नितांत आवश्यक है।

इस अवसर पर मेरा अन्य शैक्षिक अभिकर्मियों एवं अधिकारियों से भी अनुरोध है कि विद्यालय की समस्याओं एवं शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का समयान्तर्गत त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण किया जाय।

अन्त में मेरा सभी प्रधानाचार्यो शिक्षकों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि छात्र–छात्राओं के उत्तम भविष्य व देश एवं प्रदेश की समग्र प्रगति के लिए छात्रों को गुणवत्तायुक्त तथा समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना–अपना अभीष्ट योगदान प्रदान करें। एक बार पुनः विद्यालयी शिक्षा के सभी छात्र–छात्राओं, शिक्षकों, शैक्षणिक अभिकर्मियों प्रधानाचार्यो, अभिभावकों एवं अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभ कामनाएं।

Raman

(रविनाथ रमन)
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।